तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6592/2006/जैसलमेर भंवरसिंह बनाम हरिराम	नम्बर व तारीख
	न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर **एकलपीठ** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थित–** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांक 02.03.2023** प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन व विक्रय), 1975 की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील संख्या–169/2006 बउनवानी भंवरसिंह बनाम हरिराम में पारित निर्णय दिनांक 16–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार ने मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरवर्ति करते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के कब्जे को दरकिनार करते हुए और गलत विवेचन करते हुए अपील खारिज की है जबकि प्रार्थी ने आवेदन किया था और धरोहर राशि भी जमा करायी थी। आज तक अपीलार्थी का कब्जा है इसलिए उक्त आदेश अपास्त किए जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा किया गया आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2006 को खारिज हो गया और अप्रार्थी गैरनिगरानीकार ने विशेष नियमों के तहत आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था जो स्वीकार किया गया और उसे जमीन आवंटन करते हुए कब्जा दिया गया है। अब अप्रार्थी का कोई पुस्तैनी कब्जा भी नहीं रहा है। निरस्ती के आदेश के विरूद्ध निगरानीकार द्वारा कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनका ससम्मान अध्ययन किया–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6592/2006/जैसलमेर भंवरसिंह बनाम हरिराम	नम्बर व तारीख
	1. 1990 आरआरडी पेज 642 2. 1990 आरआरडी पेज 33 3. 1989 आरआरडी पेज 34 4. 2009 आरआरटी (2) पेज 1273 5. 2009 आरआरटी (2) पेज 1275 6. 2009 आरआरटी (2) पेज 1299 7. 2009 आरआरटी (2) पेज 1302 8. 2010 आरआरटी (1) पेज 145 उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थी निगरनीकार ने विशेष आवंटन हेतु दिनांक 02.03.2006 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और साथ ही धरोहर राशि 500/- रूपये जमा कराये, जिसपर पत्रावली संख्या 244/2006 कायम की गई। इस प्रार्थनापत्र पेश करने के पश्चात् 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए और न्यायालय में हाजिर होने के लिए दिनांक 12.04.2006 की तिथि निश्चित की गई। दिनांक 12.04.2006 को प्रार्थी निगरानीकार हाजिर नहीं आया और न ही उसने कोई राशि जमा करायी। इसपर उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 12.04.2006 को खारिज किया गया। इस प्रार्थनापत्र खारिज करने के विरूद्ध प्रार्थी निगरानीकार द्वारा कोई भी कार्यवाही अपील/ निगरानी कानूनी उपचार प्राप्त नहीं किया। दूसरी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 28.04.2006 को विशेष आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो प्रार्थनापत्र 500/- रूपये धरोहर राशि के साथ दिनांक 28.04.2006 को पेश किया जिसके पश्चात् 15.05.2006 को आवंटन किया गया और साथ ही राशि 1,12,617/- रूपये भी दिनांक 16.05.2006 को जमा कराये। उसके पश्चात् अप्रार्थी नंबर 2 को कब्जा आवंटन प्रमाण-पत्र दिया गया और राजस्व रिकार्ड में उसका इन्द्राज भी किया गया। पुस्तैनी कब्जा प्रार्थी का होना प्रार्थी निगरानीकार साबित नहीं कर पाया। समरी सैटलमेन्ट के समय का कब्जा प्रार्थी अभिलेख पर साबित नहीं कर पाया है। अप्रार्थी नंबर 2 को जो आवंटन किया गया है वह नियमों के तहत किया गया है जिसमें कोई अवैधता नही पायी गयी है। अतः उस आवंटन को निरस्त करने का कोई आधार भी नहीं है। जहां तक प्रार्थी निगरानीकार के स्वयं का आवेदन पत्र खारिज किया गया है उसके विरूद्ध वह कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता अनियमितता नहीं है और न ही आदेश अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। अतः उक्त निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/6592/2006/जैसलमेर भंवरसिंह बनाम हरिराम	नम्बर व तारीख
	अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील संख्या-169/2006 बउनवानी भंवरसिंह बनाम हरिराम में पारित निर्णय दिनांक 16-09-2006 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	